

**वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OFC/42567/2019

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii) जिला	बस्तर
(iii) वन प्रभाग	बस्तर वन मंडल जगदलपुर
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	8.346 हे.
(v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन - 3.661 हे. आरक्षित वन - 2.211 हे. राजस्व वन - 2.474 हे. योग - 8.346 हे.
(vi) हरियाली का घनत्व	0.4 से 0.6
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए	वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा।
(viii) भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं।
(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित स्थल वनभूमि है।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के कुछ भाग 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत आता है।
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/सकंटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तदत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचें गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवकमित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	आवश्यक नहीं है।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रतापित क्षेत्र 40.000 हे० कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है
12. विभाग/जिला प्रोफाइल (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (ii) जिले का वन क्षेत्र	4091.000 वर्ग कि०मी० आरक्षित वन — 1083.761 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन — 661.326 वर्ग कि.मी. असीमांकित वन — 466.720 वर्ग कि.मी. 2211.807 वर्ग कि.मी
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना — 595.630 हे० प्र०म०ग०प्र०स०यो० गिट्टी उत्खनन ग्राम उडियापाल,डिलमिली, इरपा — 2.400 हे० बी०आर०ओ० सडक चौड़ीकरण —37.031 हे० सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण — 0.789 हे० रेल लाईन निर्माण —10.763 हे० मोण्ड जलाशय — 0.630 हे० पीठापुर जलाशय — 7.860 हे० तारापुर जलाशय —19.448 हे० रक्षा अनुसंधान एवं विकास —132.598 हे० पुलिस चौकी निर्माण —0.900 हे० पानी पाईप लाईन निर्माण —25.720 हे० विद्युत लाईन निर्माण —4.712 हे० जल विद्युत परियोजना —19.718 हे० योग 858.199 हे०
(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं । नहीं ।
(v) तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	वैकल्पिक वृक्षारोपण — 5635.000 हे० आर.डी.एफ — 6200.000 हे० योग — 11835.000 हे० 30.00 हेक्टेयर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र भानपुरी, बस्तर, करपावण्ड, बकावण्ड, जगदलपुर एवं माचकोट के अंतर्गत ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन 3.661 हैं, आरक्षित वन 2.211 हैं, एवं राजस्व वन 2.474 हैं, कुल 8.346 हैं, वनभूमि/राजस्व वनभूमि प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र कांग्रेस घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के कुछ भाग 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत आता है।

दिनांक:- 12/03/2020

स्थान:- जगदलपुर


उप वनमण्डलाधिकारी
बस्तर

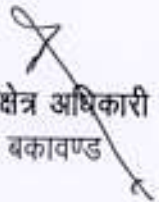

उप वनमण्डलाधिकारी
जगदलपुर


वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर


परिक्षेत्र अधिकारी
भानपुरी


परिक्षेत्र अधिकारी
बस्तर


परिक्षेत्र अधिकारी
करपावण्ड


परिक्षेत्र अधिकारी
बकावण्ड


परिक्षेत्र अधिकारी
जगदलपुर


परिक्षेत्र अधिकारी
माचकोट